समक्ष न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

निगरानी – 6205/2018/सतना/भू.रा.

1- जगतधारी प्रसाद पाठक तनय स्व. श्री देवदत्त पाठक

~~[illegible]~~

2- नारेन्द्र पाठक तनय स्व. श्री देवदत्त पाठक

3- महेन्द्र कुमार पाठक तनय स्व. श्री देवदत्त पाठक

सभी निवासी ग्राम–रोयनी थाना/पो0–कोठी तह0–रघुराजनगर जिला–सतना म0प्र0...निगराकार

बनाम

लालमन पाठक तनय स्व. श्री देवदत्त पाठक (मृत)

अ– ब्रजेश कुमार पाठक तनय स्व. श्री लालमन पाठक उम्र 34 वर्ष

ब– तारा पाठक पत्नी स्व. श्री लालमन पाठक उम्र 60 वर्ष

अ एवं ब निवासी ग्राम–रोयनी थाना/पो0–कोठी तह0–रघुराजनगर जिला–सतना म0प्र0

स– प्रभा शुक्ला पुत्री स्व. श्री लालमन पाठक पत्नी बबलू शुक्ला उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम–सुकुलगवां तह0–अमरपाटन जिला–सतना म0प्र0

द– सुनीता मिश्रा पुत्री स्व. श्री लालमन पाठक पत्नी अखिलेश मिश्रा उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम–सुकुलगवां तह0–अमरपाटन जिला–सतना म0प्र0

प्रस्तुत दिनांक 12-11-18

द्वा- सुरेखा मिश्रा

मिश्रा पुत्री स्व. श्री लालमन पाठक पत्नी रमेश मिश्रा

29 वर्ष निवासी बजरंगनगर रीवा तह0-हुजूर जिला-रीवा

....गैरनिगराकार

मुन्नीराम पाठक पुत्र श्री देवदत्त पाठक - - - - सजीवी अधिवक्ता

<u>निगरानी विरुद्ध श्रीमान् अपर आयुक्त रीवा संभाग</u>

<u>रीवा के न्यायालय के प्रकरण कमांक</u>

<u>79/अपील/17-18 पारित आदेश दिनांक 23.10.18</u>

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959</u>

मान्यवर,

निगराकार श्रीमान् जी के समक्ष निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत कर सादर विनयी है:-

<u>प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य</u>

1- यह कि निगराकार तथा गैरनिगराकार आपस में सगे भाई हैं जिनके पिता स्व. देवदत्त द्वारा गोविंद सिंह निवासी कोठी से विवादित आ0नं0-174/2 रकवा 0.690 हे. (बाग) बांका मौजा रोयनी वृत्त-कोठी तह0-रघुराजनगर जिला-सतना म0प्र0 दिनांक 3 जुलाई 1976 को कय किया था।

2- यह कि निगराकार एवं गैर निगराकार के मध्य आपसी सहमति से समक्ष गवाहान दिनांक 16.09.1990 को आपसी बटवारा किया गया था जिसके अनुसार उभयपक्ष को निम्नानुसार भूमि प्राप्त हुई।

XXIX(a)-BR(H)-11 (50)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-6205/2018/सतना/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15/04/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित। उन्हें ग्राहयता के बिन्दु पर सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर आयुक्त द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरुद्ध निगरानी के सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व मण्डल को नहीं है। उक्त तथ्य के आधार पर यह निगरानी ग्राहय योग्य न होने से अग्राहय की जाती है। आवेदक अधिवक्ता सक्षम न्यायालय में अपील करने हेतु स्वतंत्र हैं। (बी.एम. शर्मा) सदस्य	